प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक),
आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद - 500 004.

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
ANDHRA PRADESH HYDERABAD - 500 004.

सत्यमेव जयते

PM/VI/2011-12/OG-GO/

दिनांक / Date :

To

The Director of Treasuries and Accounts
4th floor Rajaram Building
Tilak Road Abids
HYDERABAD

Sir,

Sub:- Forwarding of Grant of DR at 72% w e f 01.07.2012 to Bihar pensioners

Ref:- 1. Bihar Govt. Resolutions No 3A-3-DR-01/2009-15578/V dt 02.11.2012.
2. AG (A&E)-II Bihar, No Pen IX-Spl Seal Authority No 1492 dt 23.11.2012.

***

I am herewith enclosing a Special Seal Authority issued by the Accountant General (A&E)II, Bihar, Patna in the reference cited. The same is being placed in this office official website (www.ag.ap.nic.in). You are requested to direct all the District Treasury Officers to download the orders and take necessary action at the earliest to minimize hardship to the pensioners.

Yours faithfully,

Sr Accounts Officer

Copy To
Joint Director,
Pension Payment Office,
Jambagh, M J Road
Nampally,
HYDERABAD

for information and necessary action.

Sr Accounts Officer

दू०भा०/ Phone : 040-23236810-19, ई-मेल / E-mail : agaeAndhrapradesh@cag.gov.in
Web Site : http://ag.ap.nic.in फैक्स / Fax : 040-23232441 तार / Grams : Accounts

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), BIHAR, PATNA

No. Pen-IX-Spl. seal Authority No:- 1492 **Dated –** 23/11/2012

To,

Pr. The Accountant General (A&E)
Pr. ANDHRA PRADESH
SAIFABAD
HYDERABAD – 500004

Sub:- **Grant of Dearness relief of State Government Pensioners,**
Bihar Govt. Resolution No. 3अ-3-पेन-01/2009-15578
Date 02/11/12

Sir,

I am to forward herewith Hindi/English version of copies of Govt. of Bihar, Finance Deptt. Resolution No. 3अ-3-पेन-01/2009-15578 Dated 02/11/2012 for your needful action.

You are requested to circulate this order to all Treasuries/Sub-Treasuries and Publice Sector Banks in your Jurisdiction for necessary action.

Please acknowledge the receipt of the same with enclosure.

Encl:- Copies of Bihar Govt.
Resolution No.
Dated:

Yours faithfully

Sr. Accounts Officer, Bihar, Patna

Memo No. Pen-IX-Spl.-Bihar **Date**

Copy forwards for information and necessary action to:

1. Joint Secretary to the Govt. of Bihar, Finance Deptt., Patna.
2. General Secretary, Bihar Pensioner Samaj, Vidya Vasini Sadan, North Sri Krishna Puri, Patna-800013.
3. Accounts Officer I.T.A./Pension-1.

Sr. Accounts Officer, Bihar, Patna.

Ptna-11 G91-769 C/2-13

संख्या-3ए-3-भत्ता-01/2009 - 15578 वि0 दिनांक- 02.11.2012

A.G.B. 05 NOV 2012 PATNA

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

विषय :-राज्य सरकार के पेंशन भोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को दिनांक-01.07.2012 के प्रभाव से 65 प्रतिशत के स्थान पर 72 प्रतिशत महंगाई राहत की स्वीकृति ।

वित्त विभाग के संकल्प सं0-4737वि0 दिनांक 02.05.2012 के द्वारा राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01.01.2012 के प्रभाव से 65 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसका भुगतान माह जनवरी 2012 से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के साथ किया जा रहा है ।

2. भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापांक-42/13/2012-P&PW(G) दिनांक-04.10.2012 के द्वारा केन्द्र सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01.07.2012 के प्रभाव से महंगाई राहत की दर 65 प्रतिशत से बढ़ाकर 72 प्रतिशत किया गया है

3. राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया है कि :-

(i) राज्य सरकार के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक -01.07.2012 के प्रभाव से पुनरीक्षित पेंशन में 65 प्रतिशत के स्थान पर 72 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत का भुगतान किया जाय ।

(ii) मंहगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित कर किया जाएगा ।

(iii) मंहगाई राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे को अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जाएगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा ।

(iv) उपर्युक्त मंहगाई राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा ।

(v) उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/ बिहार विधान परिषद् के पेंशनधारियों को पुनरीक्षित पेंशन में उक्त मंहगाई राहत का भुगतान मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/ सभापति, बिहार विधान परिषद की स्वीकृति से देय होगा ।

4. माह नवम्बर, 2012 के पेंशन से इस बढ़े हुए मंहगाई राहत के दर को जोड़कर पेंशन भुगतान किया जायेगा और 01.07.2012 से लेकर अक्टूबर तक की मंहगाई राहत की बकाया राशि का भुगतान नवम्बर, 2012 माह के पेंशन के भुगतान के बाद किया जायेगा ।

5. पेंशन पर मंहगाई राहत का भुगतान करते समय पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन पानेवाले पेंशनरों के संबंध में वित्त विभागीय परिपत्र सं0- 3556 दिनांक-09.05.1991 में समादिष्ट निर्देशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य है जिसमें पुनर्नियोजित पेंशनरों को मंहगाई राहत नहीं देने का प्रावधान किया गया है। उक्त स्थिति को छोड़कर मंहगाई राहत शेष असैनिक पेंशनभोगियों को देय होगी जिन्हें क्षतिपूर्ति पेंशन, वार्धक्य पेंशन, सेवा निवृति एवं असमर्थता पेंशन प्राप्त है। औपबंधिक पेंशन/पारिवारिक पेंशन एवं असाधारण पेंशन पानेवाले को भी यह राहत देय होगी।

Pen-01 5/11

06/11/12 H 0119 07-08/11/12 P/0787

6. पेंशनभोगियों को इस मंहगाई राहत के भुगतान में विलम्ब के परिहार हेतु बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 206 के अन्तर्गत बिना महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार के ही राहत के भुगतान का आदेश राज्य के अन्दर पेंशन लेने वालो के मामले में दिया जाता है । साथ ही कोषागार/उप कोषागार पदाधिकारियों को यह भी आदेश दिया जाता है कि बैंकों के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने वाले पेशनभोगियों को त्वरित भुगतान कराने के लिए वे सभी सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकृत बैंको को इसकी प्रतियाँ भेज दें । बिहार राज्य के बाहर मंहगाई राहत की निकासी महालेखाकार, बिहार के प्राधिकार पत्र पर ही की जा सकती है । इसके लिए महालेखाकार, बिहार से अनुरोध है कि राज्य के बाहर पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनभोगियों से संबंधित महालेखाकारों को अविलम्ब पेंशन राहत भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जाय तथा इसकी सूचना वित्त विभाग को भी दी जाय ।

7. दिनांक-01.07.2012 के प्रभाव से स्वीकृत मंहगाई राहत का भुगतान करते समय पूर्ववर्त्ती कंडिकाओं में निहित प्रावधानों का दृढ़ता से पालन किया जाय तथा इस मद में भुगतान की जाने वाली राशि की शुद्धता की जांच हर हाल में प्रत्येक भुगतान के समय कर ली जाय । ऐसा करना भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेदारी होगी ।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक मे सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(अरूण कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव, वित्त विभाग।

ज्ञापांक - 3ए-3-भत्ता-01/2009 - **15578** वि0 पटना, दिनांक :- **02.11.2012**

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(अरूण कुमार सिंह)

संयुक्त सचिव, वित्त विभाग।